राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
35/2023	10.07.2023	07.10.2025

बउनवान

1. राधेश्याम पुत्र रमसी, निवासी बावडीखेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. रामकिशोर पुत्र रेवडराम, निवासी बावडीखेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. लीलाराम पुत्र रेवडराम, निवासी बावडीखेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. परभाती पत्नी रेवडराम, निवासी बावडीखेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
4. लाली देवी पत्नी लीलाराम, निवासी बावडीखेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
5. पूजा देवी पत्नी महेन्द्र, निवासी बावडीखेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
6. छोटी देवी पत्नी रामकिशोर, निवासी बावडीखेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
7. नवीन पुत्र रामकिशोर, निवासी बावडीखेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री लीलाराम मीना।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की भूमि विवादित आराजीयात खेवट खतौनी सं. नई 84 पुरानी 81 के खसरा सं. 1003 रकबा 0.13 हैक्टे., 1004 रकबा 0.15 हैक्टे., 1005 रकबा 0.37 हैक्टे., 1006 रकबा 0.62 हैक्टे., 1007 रकबा 0.63 हैक्टे., 1008 रकबा 0.13 हैक्टे., 925 रकबा 0.07 हैक्टे., 926 रकबा 0.10 हैक्टे., 927 रकबा 0.04 हैक्टे., 928 रकबा 0.05 हैक्टे., 931 रकबा 0.02 हैक्टे., 932 रकबा 0.08 हैक्टे., 933 रकबा 0.16 हैक्टे., 952 रकबा 0.22 हैक्टे., 953 रकबा 0.22 हैक्टे., 954 रकबा 0.23 हैक्टे., 955 रकबा 0.36 हैक्टे., 959 रकबा 0.02 हैक्टे., 960 रकबा 0.02 हैक्टे., 963 रकबा 0.10 हैक्टे., 964 रकबा 0.04 हैक्टे., 969 रकबा 0.25 हैक्टे., 970 रकबा 0.02 हैक्टे., 984 रकबा 0.39 हैक्टे., 985 रकबा 0.40 हैक्टे., 986 रकबा 0.21 हैक्टे., 987 रकबा 0.20 हैक्टे., 988 रकबा 0.20 हैक्टे., 989 रकबा 0.20 हैक्टे., 990 रकबा 0.24 हैक्टे., 991 रकबा 0.21 हैक्टे., 992 रकबा 0.20 हैक्टे., 993 रकबा 0.18 हैक्टे., 994 रकबा 0.05 हैक्टे., 995 रकबा 0.28 हैक्टे., 996 रकबा 0.24 हैक्टे., कुल किता 36, कुल रकबा 7.03 हैक्टे. ग्राम बावडीखेडा, पटवार हल्का बावडीखेडा, तहसील बैजूपाडा में स्थित है। विवादित आराजीयात में प्रार्थी का 1/8 हिस्सा है, भूमि को मौके पर सहखातेदारों ने बाँट रखा है। विवादित आराजीयात से अप्रार्थीगण का

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

किसी भी प्रकार का कोई लेना देना सम्बन्ध व सरोकार नहीं है लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थी की गरीबी व असहाय का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी की भूमि अपना नाजायज जबरिया कब्जा करने पर पुरजिद आमादा है तथा प्रार्थी की भूमि पर जबरन पुख्ता निर्माण करके नाकाबिल काश्त कराने पर आमादा है जबकि उक्त भूमि से अप्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है। ऐसी सूरत में प्रार्थी, अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद करवाने का अधिकारी है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी की भूमि पर अपना नाजायज जबरिया कब्जा करने से, खाम या पुख्ता निर्माण करने से, भूमि गड्डे करने से, प्रार्थी को फसल बोते समय काटते समय किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से दवामि तौर पर पाबंद रहें। अप्रार्थीगण के द्वारा पूर्व में भी दिनांक 17.06.2022 को प्रार्थी व उसके परिवारजन के साथ अप्रार्थीगण के द्वारा विवादित आराजीयात पर जबरन कब्जा करने आने व मारपीट करने के कारण प्रार्थी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 347/2022 जुर्म धारा 323, 341, 447, 34, 325 आई.पी.सी. में दर्ज करवायी जिसमें अप्रार्थीगण को मुलजिमान मानते हुये अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 447 323, 341, 325,34 में आरोप पत्र न्यायालय मे पेश किया जो न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजि. बॉदीकुई के यहां विचाराधीन है अब पुनः अप्रार्थीगण दिनांक 15.06.2023 को अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात पर आये तथा प्रार्थी से कहने लगे कि अब हम तुझे तेरी भूमि पर बाजरा नही बोने देगे, तेरी भूमि पर अपना नाजायज 21 जबरिया कब्जा करके हम दादागिरी से तुमको बेदखल करके रहेगे तथा तुमको काश्त नही करने देगे। यदि भूमि पर आये तो जान से मार देगे तथा आमादा फिसाद हो गये, बडी मुश्किल से लोगो ने बीच बचाव करवाया नही तो प्रार्थी को अप्रार्थीगण जान से मार देते। प्रार्थी ने कहा कि यह भूमि हमारी खातेदारी की है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है तो अप्रार्थीगण आमादा फिसाद होने लगे। बड़ी मुश्किल से लोगो ने बीच बचाव करवाया नहीं तो प्रार्थी को जान से मार देते। यदि अप्रार्थीगण अपने नाजायज मकसद की पूर्ति में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को नुकसान अजीम नाकाबिले तायुन व तखमीना होगा व गैर जरूरी किस्म के मुकदमात दरम्यान फरीकेन चल पडेगे जो बाय से बरबादी प्रार्थी होगे। ऐसी सूरत में सिवाय प्रार्थना पत्र के और कोई चारा नजर नही आया। इस कारण प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया। प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति का सिद्वान्त प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद करवाने का अधिकारी है कि अप्रार्थीगण स्वय या अपने नौकरो एजेन्टो घरवालो या अपने मददगारान के प्रार्थी की उक्त विवादित आराजीयात पर अपना नाजायज जबरिया कब्जा करने से, जबरिया खाम या पुख्ता निर्माण करने से, भूमि में उगे पेड–पौधे घास–फूस आदि को खोदने व काटने से प्रार्थी को फसल बोते–काटते समय किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से, प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से दवामि तौर पर पाबन्द रहें। मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।

2. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पन्जीबद्ध

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

किया जाकर दिनांक 10.07.2023 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण ग्राम बावडीखेडा, पटवार हल्का बावडीखेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 1003 ता 1008, 925 ता 928, 931 ता 933, 952 ता 955, 959, 960, 963, 964 969, 970, 984 ता 996, कुल किता 36, कुल रकबा 7.03 हैक्टे. के राजस्व रिकॉर्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 7 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिये इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

4. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तद्नुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के अनुसार, विवादित आराजीयात का प्रार्थी दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र का न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। वाद के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, यदि विवादित आराजीयात के मौके की वर्तमान स्थिति में अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव किया जाता है तो प्रार्थी के अधिकार पर विपरीत प्रभाव होगा व प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इससे वाद बहुलता में व

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। आराजीयात के उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

6. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम बावडीखेडा, पटवार हल्का बावडीखेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खाता सं. 84 के खसरा सं. 1003 ता 1008, 925 ता 928, 931 ता 933, 952 ता 955, 959, 960, 963, 964 969, 970, 984 लगायत 996, कुल किता 36, कुल रकबा 7.03 हैक्टे. के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 10.07.2023 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, सम्पुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के वर्तमान मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। साथ ही प्रार्थी के हिस्से में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रुकावट, मजहमत, मदाखलत नहीं करेंगे, प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोकेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 07.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)